न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 86/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
शैलाराम पुत्र चौखाराम जाति नट निवासी– ग्राम गोसाई नगर, नान्दीया, तहसील बावडी, जोधपुर		1. गंगाराम पुत्र अर्जुनराम 2. तिलोकराम पुत्र चुतराराम 3. सोनाराम पुत्र चुतराराम 4. तेजाराम पुत्र हरकाराम 5. जगदीश पुत्र हरकाराम 6. दीपाराम पुत्र हरकाराम 7. टीपूदेवी पत्नि हरकाराम जाति मेघवाल 8. लीलाराम पुत्र छेलाराम 9. रामुराम पुत्र भागचन्दराम 10. अजीमराम पुत्र भागचन्दराम 11. जालाराम पुत्र भागचन्दराम 12. शकुरराम पुत्र मुराडराम जाति नट निवासीगणं– ग्राम गोसाई नगर, नान्दीया, तहसील बावडी, जोधपुर 13. राजस्थान सरकार तहसीलदार बावडी जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.05.2017 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 146/2015 अनवान गंगाराम वगैराह बनाम शेलाराम वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा लोक अदालत शिविर नान्दीया कलां पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 12 बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 12 –08–2022

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के समक्ष धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम मौजा गोसाई नगर में उनकी खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि ख0सं0 490/375 रकबा 146. 18 बीघा भूमि स्थित है,अप्रार्थीगण जो कि पडौसी खातेदार है, प्रार्थीगण की भूमि को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया है, पटवारी हल्का की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 24.6.2015 के अनुसार उपरोक्त खसरान भूमि की पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करावें। उपखयड अधिकारी ओसियॉ से पत्रावली उपखण्ड अधिकारी बावडी में स्थानान्तरित हुई जो पत्रावली तलबी इंतजार में चल रही थी। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली लोक अदालत शिविर ग्राम नान्दीया कला में रखी जाकर अप्रार्थी/अपीलार्थी को बिना कोई सूचित किये सुनवाई का अवसर दिये ही बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार बावडी टीम गठित कर पत्थरगढी करने का दिनांक 19.05.2017 को

अपीलीधीन आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाटन्स ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रकिया को अपनाये बिना ही एवं धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम पर मनमाना निर्णय पारित किया है जो विधि विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी एवं अन्य प्रफोर्मा रेस्पो0 जो अधिनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण थे उनको सुनवाई का कभी भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ ऐसे में एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि रेस्पो0 के प्रार्थनापत्र में यह अंकित था कि अप्रार्थीगण/अपीलान्ट उनकी खातेदारी भूमि में दखलांदाजी कर रहे है। ऐसे में अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त करने के उपरान्त गुणावगुण पर आदेश जारी करते।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखे जाने सम्बन्धी पक्षकारान को कोई नोटिस/सूचना नहीं दी गई एव न कोई नोटिस प्राप्त हुआ। जबकि लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामें होने वाले प्रकरणों का ही निस्तारण करने के राज्य सरकार के निर्देश थे। किसी एक पक्षकार को सुनकर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त जिस पैमाइश रिपोर्ट पर आदेश हुआ वह पैमाइश रिपोर्ट भी एकतरफा बनाई गई है। पैमाइश रिपोर्ट में भी सीमाओं का अन्तर बताया गया है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि धारा 112, 128 में निर्विवादित पैमाइश रिपोर्ट व दोनों पक्षों की मौजूदगी में बनाई होने के आधार पर ही भूमि पर पत्थरगढी के आदेश दिये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जल्दबाजी व मनमानी के आदेश से अपीलार्थी को अनावश्यक मुकदमेंबाजी करने हेतु मजबूर कर दिया है। अपीलार्थीग पीढियों से अपनी उक्त भूमि पर काबिज है एवं उनकी खेतों की माठे सुरक्षित है। अ उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायलय के द्वारा दिनांक 19.05.2017 को पा एकपक्षीय आदेश, बिना सुनवाई किये गये पारित आदेश को निरस्त किया जावें अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावें। अधिवक्ता द्वारा अपने उपरोक्त कथ के समर्थन में निर्णय नजीर अवलोकनार्थ पेश की यथा– आरआरटी 2008 (2) पेज 13

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से ओर से उपस्थित राजकीय अधिवत यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय 19.05.2017 के द्वारा रेस्पोडेन्टस के द्वारा धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनि तहत अपने खेत खसरान संख्या 490/375 रकबा 146.18 भूमि बीघा की पत्थरगढ़ जाने बाबत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर दोनों पक्षों को सूचित करते हुए खसरान की पत्थरगढी उनकी उपस्थिति में किये जाने जो अपीलाधीन आदेश पारि है वो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हुई वर्तमान अ खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

फक्त ता

आज........

सदस्य, राजस्व अपील अधिकरण, जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली को कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु रखे जा पक्षकारान को कोई नोटिस/सूचना नहीं दी जाना प्रतीत होता है। इसके वादग्रस्त पैमाइश रिपोर्ट भी एकतरफा बनाई गई प्रतीत होती है एवं उक्त पैमाइश भी सीमाओं का अन्तर बताया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए तहसीलदार बावडी को निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रे जाना न्यायोचित रहेगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर मनन करने व विश्लेषण करने के उपरान्त की अपील आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है तथा आदेश दिनांक 19.05.2017 को निरस्त करते हुए तहसीलदार बावडी को निर्देश है कि एक टीम गठित की जाकर दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि सीमांकन किया जावे तत्पश्चात आवश्यक होने पर पत्थरगढी की विधिवत कार्यव निर्णय आज दिनांक 12.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर